प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 25.07.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1-गौकशी की घटना में प्रकाश में आया 01 आरोपी गिरफ्तार थाना भोजपुरः-

अवगत कराना है कि दिनांक 19.07.2024 को थाना भोजपुर चौकी इस्लामनगर क्षेत्रान्तर्गत जंगल में गौकशी की घटना एक काले रंग के गौवंशीय बछडे के अवशेष सींग , कान व काले रंग का खाल आदि बरामद होने पर वादी उ0नि0 अमित कुमार द्वारा थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0- 290/2024 धारा- 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया । विवेचना व साक्ष्यो के आधार पर अभियुक्त रिजवान पुत्र नौसे निवासी मौ0 असालतपुरा करूला थाना कटघर जनपद मुरादाबाद का नाम प्रकाश में आया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध/अपराधियो, गौकशी की घटनाओ के अनावरण व प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान एंव विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 25.07.2024 को व0उ0नि0 मुरलीधर चौहान थाना भोजपुर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त रिजवान पुत्र नौसे उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 15 K.G. गौवंशीय पशु का मांस, एक इलैक्ट्रानिक तराजू , 3 छुरी व एक कुल्हाडी लोहा बरामद हुये। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

2- गौंकशी के अभियोग में वांछित आरोपी अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार थाना भोजपुरः-

अवगत कराना है कि दिनांक 19.07.2024 को थाना भोजपुर चौकी इस्लामनगर क्षेत्रान्तर्गत जंगल में गौकशी की घटना एक काले रंग के गौवंशीय बछडे के अवशेष सींग , कान व काले रंग का खाल आदि बरामद होने पर वादी उ0नि0 अमित कुमार द्वारा थाना भोजपुर पर मु0अ0सं0- 290/2024 धारा- 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया । विवेचना व साक्ष्यो के आधार पर अभियुक्त अय्यूब पुत्र मकसूद निवासी ग्राम महमूदपुरमाफी थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद हाल निवासी पीर बाजार थाना मझोला जनपद मुरादाबाद का नाम प्रकाश में आया । जो उक्त अभियोग में वांछित है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध/अपराधियो, गौकशी की घटनाओ के अनावरण व प्रभावी अंकुश लगाये जाने तथा संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान एंव विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 25.07.2024 को व0उ0नि0 मुरलीधर चौहान थाना भोजपुर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त अय्यूब पुत्र मकसूद उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से अवैध एक तमंचा व 01 कारतूस 315 बोर बरामद हुआ । अवैध शश्त्र बरामदगी के आधार पर अभियुक्त अय्यूब पुत्र मकसूद उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0- 302/2024 धारा- 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

3-अवैध तमंचा व कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार थाना मैनाठेरः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध/अपराधियो, अवैध शस्त्र निर्माण/तस्करी व अवैध शस्त्र धारको पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 24.07.2024 को उ0नि0 उम्मेद सिंह पोसवाल थाना मैनाठेर द्वारा अभियुक्त वसीम पुत्र नन्हू कुरैशी निवासी ग्राम ताहरपुर अब्बल थाना मैनाठेर जनपद मुरादाबाद को अवैध एक तमंचा व 01 कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0-255/2024 धारा-3/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

4- नाबालिग को नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार थाना कटघरः-

अवगत कराना है कि दिनांक 24.07.2024 को वादिनी निवासनी थाना कटघर क्षेत्रान्तर्गत ने आरोपी द्वारा वादिनी की नाबालिग छोटी बहन को नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना कटघर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 385/2024 धारा-123/64(2)(m)/351(3) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस 2023) व 5l/6 पोक्सो एक्ट व 3(2)(V) एससी / एसटी एक्ट बनाम अफसर अली पुत्र रफीक निवासी ग्राम वशी मुस्तकम थाना मण्डी धनौरा जिला अमरोहा पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 25.07.2024 को उ0नि0 बृजेश कुमार थाना कटघर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के आरोपी अफसर अली पुत्र रफीक उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

5- दहेज की मांग करते हुये मारपीट कर प्रताडित करना व जान से मारने की धमकी देने तथा दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या करने के 02 आरोपी गिरफ्तार थाना कटघरः-

अवगत कराना है कि दिनांक 13.07.2024 को वादी श्री जगपाल सिंह पुत्र श्री नौबत राम सैनी निवासी ग्राम मूंडापाण्डे जनपद मुरादाबाद ने आरोपीगण द्वारा वादी की बहन से दहेज की मांग करते हुये मारपीट कर प्रताडित करना व जान से मारने की धमकी देने व हमसाज होकर वादी की बहन की हत्या कर देने के संबंध में थाना कटघर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 360/2024 धारा-85/115(2)/351(2)/80(2)/103(1) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस 2023) व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम हरपाल सिहँ आदि पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 25.07.2024 को उ0नि0 उचित कुमार थाना कटघर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के आरोपीगण 1.हरपाल सिंह पुत्र राम सिंह, 2. श्रीमती शकुन्तला पत्नी हरपाल सिंह निवासीगण मनकरा मिलक थाना मुण्डापाण्डें जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

6-अवैध तमंचा व कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार थाना मुगलपुराः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध/अपराधियो, अवैध शस्त्र निर्माण/तस्करी व अवैध शस्त्र धारको पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 25.07.2024 को उ0नि0 राजीव कुमार थाना मुगलपुरा द्वारा अभियुक्त खालिद पुत्र असलम निवासी मौ0 वारसी नगर थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद को अवैध एक तमंचा व 01 कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । इस संबंध में थाना मुगलपुरा पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0-202/2024 धारा-3/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

7- दहेज की मांग करते हुये प्रताडित करना व दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या कर शव को छिपाने के 02 आरोपी गिरफ्तार थाना कटघरः-

अवगत कराना है कि दिनांक 25.07.2024 को वादी श्री विजय सैनी पुत्र स्व0 ओमप्रकाश सैनी निवासी मौहल्ला मोती मगर टांडा बादली थाना टांडा जिला रामपुर ने आरोपीगण द्वारा वादी की बहन से दहेज में कार की मांग करते हुये प्रताडित करना व दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या कर उसके शव को सबूत नष्ट करने के उद्देश्य से कहीं गायब कर देने के सम्बन्ध मे थाना कटघर पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0- 390/2024 धारा- 85/80/238 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस 2023) व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम हीरा आदि के पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 25.07.2024 को उ0नि0 कुलदीप कुमार व उ0नि0 शहजाद अली थाना कटघर द्वारा मय हमराही पुलिस बल के आरोपीगण 1.हीरा पुत्र भारत सिंह निवासी ग्राम पंण्डित नंगला थाना कटघर जिला मुरादाबाद, 2.आकाश पुत्र चरन सिंह निवासी देहरी गाँव थाना कटघर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

8- थाना कटघर पुलिस द्वारा 02 वारंटीयो को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया गयाः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, वांछित/वारंटी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 25.07.2024 को थाना कटघर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त/वारंटीयो 1. मेहरबान पुत्र बब्बू खाँ निवासी बरवाला मझरा (सिद्दकी कालोनी) थाना कटघर जनपद मुरादाबाद सम्बन्धित वारण्ट मु0नं0 242/23 धारा 125(3) द0प्र0सं0, 2. कलुआ उर्फ जहीर पुत्र सद्दीक निवासी असालतपुर थाना गलशहीद जनपद मुरादाबाद सम्बन्धित एस0टी0 नं0 10351/10 अपराध सं0 139/10 धारा 398/401 भादवि0 को गिरफ्तार कर सम्बन्धित माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

9- थाना मैनाठेर पुलिस द्वारा, शान्ति भंग करने में 11 आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 25.07.2024 को थाना मैनाठेर पुलिस द्वारा शान्ति भंग करने के आरोपीगण 1-आजम पुत्र असलम निवासी ग्राम अहलादपुर थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद, 2-असलम पुत्र सुलेमान निवासी ग्राम अहलादपुर थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद 3-इसरार पुत्र यामीन निवासी ग्राम सोनकपुर थाना सोनकपुर जनपद मुरादाबाद 4-मोहसीन पुत्र यामीन निवासी ग्राम सोनकपुर थाना सोनकपुर जनपद मुरादाबाद 5-खुर्शीद पुत्र आले हसन निवासी ग्राम जटपुरा थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद तथा 6-फरमान पुत्र फारूख निवासी ग्राम जटपुरा थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद 7-इसरार पुत्र सद्दीक हुसैन निवासी ग्राम डींगरपुर थाना मैनाठरे जिला मुरादाबाद 8-शाजेब पुत्र इसरार हुसैन निवासी ग्राम डींगरपुर थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद 9-मौ0 आकिल पुत्र रफीक निवासी ग्राम डींगरपुर थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद 10. मौ0 कामिल पुत्र रियाजुल हुसैन निवासी ग्राम असदपुर थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद , 11.नबीजान पुत्र कल्लू निवासी ग्राम गुरेर थाना मैनाठेर जिला मुरादाबाद को अन्तर्गत धारा 170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।